[2022] 13 एस. सी. आर. 323

केरल विश्वविद्यालय और अन्य अति.

वी.

मर्लिन जे. एन. और .और अन्य अति.अति.।

(सिविल अपील सं। 5309–5314 2022 का)

17 अगस्त, 2022

[उदय उमेश ललित, एस. रवींद्र भाट और सुधांशु धूलिया, जे. जे.]

सर्विस लॉ– पी.एच.डी. धारकों की NET से छूट –2018 यू.जी.सी. आर का भविष्यलक्षी संचालन –यू.जी.सी. (विश्वविद्यालयों और इससे संबंधित संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति और करियर में प्रगति के लिए न्यूनतम योग्यताएँ –विश्वविद्यालयों और इससे संबंधित संस्थानों 2009 में, यू. जी. सी. विनियम, 2000 (यू. जी. सी. आर.) में संशोधन किया गया था–इस संशोधन द्वारा, पहली बार, व्याख्याता की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शर्त यानी एन. ई. टी. लागू की गई थी– जिन उम्मीदवारों ने अपनी पी. एच. डी. प्राप्त की थी, उन्हें एन. ई. टी. में अर्हता प्राप्त करने से छूट दी गई थी– 13.06.2011 को विश्वविद्यालय ने विभिन्न विषयों में व्याख्याता के पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे न्यूनतम योग्यता एन. ई. टी. थी, हालांकि, विज्ञापन में उन उम्मीदवारों को छूट दी गई थी जिनके पास संबंधित विषय में पी. एच. डी. थी–एक 'जे' जिसने पद के लिए आवेदन किया था, उसे पहले स्थान पर रखा गया था और प्रतिवादी को दूसरे स्थान पर रखा गया था–उत्तरदाता ने उच्च न्यायालय के समक्ष 'जे' की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी कि यह 2009/10 यू. जी. सी. आर. का उल्लंघन करता है। अर्थात्, चूंकि 'जे' ने 2009 के पी. एच. डी. विनियमों के अनुसार अपनी पी. एच. डी. (23.08.2006 पर) प्राप्त नहीं की थी–उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 'जे' व्याख्याता का पद धारण करने के लिए योग्य नहीं था–खंड पीठ ने यह अभिनिर्धारित करते हुए एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की कि 2016 यू. जी. सी. आर. संशोधन जो पी. एच. डी. से 11.07.2009 की अंतिम तारीख से पहले सम्मानित लोगों को व्याख्याता के लिये सक्षम बनाता है। भविष्यलक्षी है, इसलिए "जे" को लाभ से इंकार किया गया–अपील पर अभिनिर्धारित शायद सैकड़ों अन्य पीएचडी उम्मीदवार हैं जिन्होंने 2009 पी.एच.डी. विनिमय इससे पहले अपनी डिग्री हासिल की थी और 2009/10 जो यू. जी. सी. आर. लागू होने तक भारत में किसी भी विश्वविद्यालय में किसी भी शिक्षण रिक्ति के लिए प्रत्येक चयन में एन. ई. टी. से छूट का दावा करने के हकदार थे–2018 यू. जी. सी. आर. ने 2009 के पूर्व और बाद के पी. एच. डी. धारकों को दो समूहों में विभाजित किया और एन. ई. टी. लेने से छूट दोनों की अनुमति दी।

उन्हें केवल संभावित रूप से लागू करने के रूप में समझना, एक बेतुकेपन को जन्म देगा, और उस उद्देश्य को विफल कर देगा जिसके लिए संशोधन घोषित किया गया था–यह अदालतों का कर्तव्य है, चाहे वह मूल कार्यवाही का विचारण कर रहा हो या अपील की सुनवाई कर रहा हो, कि वे परिवर्तन पर ध्यान दें। लंबित कार्यों को प्रभावित करने वाला कानून और उसे प्रभावी बनाने के लिए–2018 यू. जी. सी. आर. की संभावित व्याख्या करने का अर्थ यह होगा कि 2009 से पहले के पी. एच. डी. धारक की नियुक्ति को अवैध माना जाएगा, और उसके बाद कई वर्षों तक पढ़ाने के बाद, वह अपनी वरिष्ठता और सभी अर्जित लाभों को खो देगा और अब उसे पढ़ाने के लिए नेट लेना होगा जो स्पष्ट रूप से अनुचित है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारितः 1.1 इस मामले के तथ्यों से पता चलता है कि चयन प्रक्रिया 2012 में पूरी हुई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस समय, 2009 पी. एच. डी. विनियम और 2009/10 यू. जी. सी. आर. लागू थे। फिर भी विश्वविद्यालय ने इसके द्वारा समझे गए मौजूदा मानक को लागू करके आवेदन करके 'जे' (डॉ.) को नियुक्त किया। विश्वविद्यालय के अनुसार, 2009/10 यू. जी. सी. आर. को केवल 2013 में इसके क़ानून में शामिल किया गया था। इस अदालत की राय में, वह विवरण अप्रासंगिक है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 'जे' की तरह, शायद सैकड़ों अन्य पीएचडी उम्मीदवार हैं जिन्होंने 2009 पी.एच.डी. विनिमय से पहले अपनी डिग्री हासिल की थी और जो यू. जी. सी. आर. लागू होने तक भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में किसी भी शिक्षण रिक्ति के लिए प्रत्येक चयन में एन. ई. टी. से छूट का दावा करने के हकदार थे। इस स्थिति के कारण यू. जी. सी. ने स्पष्टीकरण जारी किया, जिस पर केंद्र सरकार सहमत नहीं हुई। अपीलार्थी "जे" पी. एच.डी. धारकों को उस वर्ग में आता है जिनके लिये यूजीसी ने 2009/10 यू जी सी आर की कठोरताओं को कम किया । हालांकि केन्द्र सरकार से सहमति के अभाव में परिणामस्वरूप दावे आये जिनकी परिणीति पी. सुशीला में हुए । [पैरा 16] [335–सी–ई]

1.2 पी. सुशीला 2009 से पहले के पी. एच. डी. धारकों के संबंध में इस मुद्दे को प्रतिकूल रूप से उठाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं। यूजीसी शायद उन्होंने उस कठिनाई को महसूस किया जो उन्हें झेलनी पड़ी (उनमें से कई को यू. जी. सी. की 471 वीं बैठक में 12.08.2010 पर अपनाए गए प्रस्ताव के कारण विभिन्न विश्वविद्यालयों में नियुक्त भी किया गया था), और इसलिए नियमों में एक बार फिर से संशोधन किया (2016 यू. जी. सी. आर.)। [पैरा 17] [335–एफ–जी]

1.3 यू. जी. सी. का इरादा 2009 से पहले की पी. एच. डी. धारकों की रक्षा करना है। जिन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों में नियुक्त किया गया हो और कई वर्षों तक पढ़ाया गया हो, स्पष्ट रूप से अपनाई गई भाषा में स्पष्ट हैं। इरादे को और भी स्पष्ट करने के लिए, 2018 यू. जी. सी. आर. ने 2009 से पहले और बाद के पी. एच. डी. धारकों को दो समूहों में विभाजित किया, और दोनों को एन. ई. टी. लेने से छूट दी। [पैरा 18] [336–डी]

2. यह न्यायालय इस तरह की दलीलों से अप्रभावित है। इस तरह की स्थितियों में, अधिकारों की पूर्वव्यापी बहाली जो पहले छीन ली गई थी, निश्चित रूप से लंबित प्रक्रियओं को प्रभावित करेगी। हालांकि यह न्यायालय का कर्तव्य है, चाहे मूल प्रक्रियओं पर विचारण कर रहा हो या अपील की सुनवाई कर रहा हो, कि यह ध्यान दें कि लंबित कार्यों को प्रभावित करने वाले कानून में परिवर्तन और उसे प्रभावी बनाये । यदि इस तरह के विचार पर, न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि कोई संशोधन ऐसी भाषा बोलता है जो स्पष्ट रूप से या स्पष्ट इरादे से लंबित मामलों में भी लेता है, तो प्रथम दृष्टांत न्यायालय के साथ–साथ अपील न्यायालय को इस तरह व्यक्त किए गए इरादे को ध्यान में रखना चाहिए, और अपील न्यायालय प्रभावी हो सकता है। प्रथम दृष्टांत न्यायालय के निर्णय के बाद भी ऐसी विधि के लिए। [पैरा 22] [338–जी–एच; 339–ए–बी]

3. जब कोई अधिनियम या संशोधन घोषणात्मक, उपचारात्मक या स्पष्टीकरणात्मक हो, जो स्पष्ट करने की महसूस की गई आवश्यकता से प्रेरित हो। हमेशा जो इरादा था, ऐसा संशोधन आमतौर पर एक पूर्ववर्ती तिथि से संचालित करने के लिए या पूर्ववर्ती घटनाओं को शामिल करने के लिए होता है। इस स्थिति को आयकर आयुक्त, भोपाल बनाम शेली उत्पाद और अन्य में स्पष्ट किया गया था। [पैरा 23] [339–बी–सी]

4. 1993 से 2018 तक यू जी सी आर के सभी संस्करणों में व्याप्त तर्क (जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है) एम.फिल/ पी.एच.डी. धारकों को नेट में आर्हता प्राप्त करने से छूट देने के लिए, शायद यह समझते हुए कि किसी के चुने हुए विषय में इस तरह की डॉक्टरेट, जिसमें वर्षों का अध्ययन शामिल है, नेट लेने वाले अधिकांश अन्य उम्मीदवारों की तुलना में जिन्होंने केवल मास्टर की डिग्री प्राप्त की है विषय की अधिक समझ प्रदान करेगा ऐसी योग्यता (एम. फिल. या पी.एच.डी.) निस्संदेह एक संबंधित विषय या विषय में उम्मीदवार की प्रवीणता सिद्ध करने के लिए सम्मानित किया जाता है। यह विभिन्न पदों की न्यूनतम योग्यता आवश्यकताओं के साथ–साथ दिखाई देती है उदाहरण के लिए स्पष्ट है, जबकि एक मास्टर डिग्री सहायक प्रोफेसर के पद पर आवेदन के लिए पर्याप्त है। आगे की ओर एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर आवेदन करने के लिए पीएचडी की आवश्यकता होती है। 2018 के यू. जी. सी. आर. की संभावित व्याख्या करने से यह संकेत मिलता है कि 2009

से पहले की पी. एच. डी. धारक की नियुक्ति अवैध हो जाएगी, और कई वर्षों तक पढ़ाने के बाद, वह अपनी वरिष्ठता और सभी अर्जित लाभ खो देगा और अब उसे पढ़ाने के लिए एन. ई. टी. लेनी होगी–जो स्पष्ट रूप से अनुचित है। इसलिए यह अदालत मानती है कि 'जे' नियुक्ति 2016 यू. जी. सी. आर. द्वारा संरक्षित है, जो पूर्वव्यापी रूप से लागू है। [पैरा 26] [340 – डी–जी; 341–ए]

श्याम सुंदर बनाम। राम कुमार (2001) 8 एससीसी 24: [2001]

1 पूरक। एस. सी. आर. 115–अनुसरण किया गया।

डॉ. मर्लिन जे. एन. बनाम केरल विश्वविद्यालय **डब्ल्यू. पी. (ग) 2012 का सं. 20055 और डब्ल्यू. पी. (ग) 2013 की सं. 2951;** पी. सुशीला बनाम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (2015) 8 एस. सी. सी. 129 [2015] 5 एस. सी. आर. 643; डॉ. डी. राधाकृष्णन पिल्लई बनाम त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड 2016 (2) के. एल. टी. 245; मध्य प्रदेश राज्य। वी. मनोज शर्मा (2018) 3 एस. सी. सी. 329 [2018] 1 एस. सी. आर. 779; रफीकेनेसा बनाम। लाल बहादुर छेत्री (मृत) अपने प्रतिनिधियों और अन्य लोगों के माध्यम से। [1964] 6 एस. सी. आर. 876; दर्शन सिंह बनाम राम पाल सिंह और अन्य। [1990] 3 पूरक। एस. सी. आर. 212; नूरुन्निसा बेगम बनाम। बृज किशोर संघी (2015) 17 एससीसी 128: [2015] 4 एससीआर 246; आयकर आयुक्त, भोपाल बनाम। शेली उत्पाद और अन्य। (2003) 5 एससीसी 461: [2003] 1 पूरक। एस. सी. आर. 79; ज़िले सिंह बनाम। हरियाणा राज्य (2004) 8 एससीसी 1: [2004] 5 पूरक। एस. सी. आर. 272; मनोज शर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य **डब्ल्यू. पी. (ग) सं. 3290**
2012 का उल्लेख किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2015] 5 एससीआर 643	संदर्भित किया गया है	पैरा 8
[2018]1 एससीआर 779	संदर्भित किया गया है	पैरा 8
[1964] 6 एससीआर 876	संदर्भित किया गया है	पैरा 19
[1990] 3 पूरक। एससीआर 212	संदर्भित किया गया है	पैरा 19
[2001] 1 पूरक। एससीआर 115	पीछा किया।	पैरा 20

[2015] 4 एस सी आर 246	संदर्भित किया गया है	पैरा 22
[2003] 1 पूरक। एससीआर 79	संदर्भित किया गया है	पैरा 23
[2004] 5 पूरक। एससीआर 272	संदर्भित किया गया है	पैरा 24

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 5309–5314 2022 तक।

16.03.2020 और 30.09.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम में डब्ल्यू. ए. नं. 1713 , 1744 , 1792 2018 और आर. पी. सं. 688 , 689 , 690 2020 से।

के साथ

सिविल अपील सं। 5315–5332 2022 तक।

वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मोहम्मद सादिक टी. ए, श्रीमती अनु के. जॉय, आलिम अनवर, अब्राहम सी. मैथ्यूज, लक्ष्मीश एस. कामत, सुश्री सम्रिती आहूजा, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

राज पंजवानी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री पूर्णिमा भट, कलीस्वरम राज, ए. लक्ष्मीनारायणन, सुश्री तुलसी के. राज, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. स्वीकृति प्रदान। विद्वान अधिवक्तओं की सहमति से, अपीलों पर अंततः सुनवाई की गई। अपीलार्थी (पहली अपील में, डॉ. एम. एस. जयकुमार और दूसरी अपील में केरल विश्वविद्यालय) (इसके बाद, "विश्वविद्यालय") ने केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ के एक सामान्य फैसले को चुनौती दी।[1] इसमें शामिल मुद्दा विश्वविद्यालय द्वारा समाजशास्त्र में व्याख्याता के रूप में डॉ. जयकुमार की नियुक्ति की वैधता है। उच्च न्यायालय ने समवर्ती रूप से उस नियुक्ति को रद्द कर दिया।

2. डॉ. जयकुमार ने वर्ष 1999 में समाजशास्त्र में स्नातक पूरा किया, उन्होंने अपना M.Phil वर्ष 2000 में हासिल किया और पी. एच. डी. 23.08.2006 पर। नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करने वाले घोषित किए गए विनिमय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

---

1 2018 के डब्ल्यू. ए. सं. 1713,1744 और 1792 में और केरल उच्च न्यायालय द्वारा 2020 के आर. पी. सं. 688–90 में पारित सामान्य आदेश।

द्वारा (इसके बाद, "यू. जी. सी".) यू. जी. सी. (करियर, उन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता विश्वविद्यालयों और इससे संबंधित संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति) विनियम, मार्च 2000 में पेश किए गए (इसके बाद, "2000 यू. जी. सी. आर.")। उन्होंने किसी भी विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (इसके बाद, "नेट") उत्तीर्ण करने का निर्देश दिया। 2000 यू. जी. सी. आर. ने उन उम्मीदवारों को छूट दी जिन्होंने एम. फिल. प्राप्त किया था या 31.12.1993 द्वारा अपनी पी. एच. डी. थीसिस जमा की थी।[2]

3. 2000 यू. जी. सी. आर. को जुलाई 2002 में संशोधित किया गया था (इसके बाद, " 2002 यू. जी. सी. आर./प्रथम संशोधन ")। परिणामस्वरूप, जिन्होंने दिनांक 31.03.1993 तक M.Phil प्राप्त किया था। अपनी पी. एच. डी. थीसिस दिनांक 31.12.2002 तक जमा की थी उन्हें नेट लेने से छूट दी गई थी ।[3] जून 2006 में, नियमों में और संशोधन किया गया (इसके बाद, "2006 यू. जी. सी. आर./दूसरा संशोधन")।[4]

4. विनियमों में संशोधन का अगला दौर 11.07.2009 में (इसके बाद, "2009 यू. जी. सी. आर./तीसरा संशोधन") किया गया था। इस संशोधन द्वारा, पहली बार, व्याख्याता की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शर्त नेट थी। हालाँकि, जिन उम्मीदवारों ने यू. जी. सी. (एम. फिल/पी. एच. डी. के पुरस्कार के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) के अनुपालन में अपनी पी. एच. डी. डिग्री प्राप्त की थी। विनियम 2009 (इसके बाद, "2009 पी. एच. डी. विनियम"), जिसे 01.06.2009 पर पेश किया गया था, नेट में योग्यता से छूट दी गई थी। 2009 के यू. जी. सी. आर. में प्रतिस्थापित प्रावधान इस प्रकार हैः

> "विश्वविद्यालयों, महाविद्यालय/संस्थान में व्याख्याताओं की भर्ती और नियुक्ति में नेट/एस. एल. ई. टी. न्यूनतम पात्रता शर्त बनी रहेगी। बशर्ते कि उम्मीदवार, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (न्यूनतम मानक और पी. एच.

---

2 " पी.एच. डी. डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों के लिए भी व्याख्याता के रूप में नियुक्ति के लिए नेट अनिवार्य आवश्यकता बनी रहेगी। हालाँकि, वह उम्मीदवार जिसने M.Phil पूरा कर लिया है। 31 दिसंबर, 1993 तक संबंधित विषय में डिग्री या पीएचडी थीसिस जमा करने वालों को नेट परीक्षा में बैठने से छूट दी गई है।

3 " पीएच. डी. डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों के लिए भी व्याख्याता के रूप में नियुक्ति के लिए नेट अनिवार्य आवश्यकता बनी रहेगी। हालाँकि, जिन उम्मीदवारों ने M.Phil पूरा कर लिया है। 31 दिसंबर, 1993 तक की डिग्री या 31 दिसंबर, 2002 को या उससे पहले संबंधित विषय में विश्वविद्यालय को पीएचडी थीसिस जमा करने वालों को नेट परीक्षा में बैठने से छूट दी गई है। यदि ऐसे उम्मीदवार पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें नेट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

4 " स्नातकोत्तर डिग्री रखने वालों के लिए व्याख्याता के रूप में नियुक्ति के लिए नेट अनिवार्य आवश्यकता बनी रहेगी। हालांकि, संबंधित विषय में पीएचडी डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को पीजी स्तर और यूजी स्तर के शिक्षण के लिए नेट से छूट दी गई है। इन उम्मीदवारों जिनके पास M.Phil है। संबंधित विषय में डिग्री को केवल यूजी स्तर के शिक्षण के लिए नेट से छूट दी गई है। केरल और ओ. आर. एस. विश्वविद्यालय।

डी. डिग्री प्रदान करने की प्रक्रिया), विनियम 2009, के अनुपालन में पी. एच. डी. डिग्री से सम्मानित है या किया गया है विश्वविद्यालयों महाविद्यालय/संस्थान में सहायक प्रोफेसर या समकक्ष पद भर्ती और नियुक्ति के लिए नेट/स्लेट की शर्त में न्यूनतम पात्रता की आवश्यकता से छूट रहेगी ।"[5]

5. 2009 पी. एच. डी. विनियमों ने पी. एच. डी. में प्रवेश के लिए समान मानकों को निर्धारित किया और अन्य मुद्दों से निपटा, जैसे कि पर्यवेक्षक, पाठ्यक्रम कार्य, मूल्यांकन और मूल्यांकन के मानक, यू. जी. सी. के साथ शोध प्रबंध का भंडार, विश्वविद्यालय के विभागों में पी. एच. डी. उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुति जो संकाय सदस्यों और शोध छात्रों के लिए टिप्पणियों के लिए खुली होनी चाहिए, शोध पत्रों के प्रकाशन की अनिवार्य आवश्यकता आदि।

6. 30.06.2010 को यू. जी. सी. ने नियमों में संशोधन किया (इसके बाद, "2010 यू. जी. सी. आर".)। प्रासंगिक प्रावधान ने उन उम्मीदवारों के लिए नेट छूट को जारी रखा जिन्होंने 2009 के पी. एच. डी. नियमों के अनुसार अपनी पी. एच. डी. डिग्री प्राप्त की थी:

" नेट/एस. एल. ई. टी./एस. ई. टी. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती और नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता शर्त बनी रहेगी। ।बशर्ते कि उम्मीदवार, जो पीएचडी डिग्री से सम्मानित है या किया गया है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार (पी. एच. डी. डिग्री के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुपालन में विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसर या समकक्ष पदों की भर्ती और नियुक्ति के लिए एन. ई. टी./एस. एल. ई. टी./एस. ई. टी. की न्यूनतम पात्रता शर्त की आवश्यकता से छूट दी जाएगी।"[6]

7. 13.06.2011 को, विश्वविद्यालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से समाजशास्त्र सहित विभिन्न विषयों में व्याख्याता के पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। विज्ञापन में न्यूनतम योग्यताएँ की आवश्यकता लिखी गई थीं। एक अनिवार्य शर्त यह थी कि उम्मीदवारों को लेक्चरशिप के लिए पात्रता आवश्यकता को पूरा करना चाहिए यानी नेट साथ ही, विज्ञापन में संबंधित विषय में पीएचडी करने वाले उम्मीदवारों को नेट में अर्हता प्राप्त करने से छूट दी गई थी। विज्ञापन के प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं:

" <u>योग्यताएँ</u>

कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड या

5 रेग. 4 , 2009 यूजीसीआर।

' रेग. 3.3. 1 , 2010 यूजीसीआर।

परास्नातक स्तर पर समकक्ष ग्रेड संबंधित विषय में भारतीय विश्वविद्यालय से या समकक्ष डिग्री एक विदेशी विश्वविद्यालय से।

नोटः 1 उपरोक्त योग्यताओं को पूरा करने के अलावा उम्मीदवार को लेक्चररशिप के लिए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, जो कि यू. जी. सी., सी. एस. आई. आर. या यू.जी. सी. से मान्यता प्राप्त इसी तरह के परीक्षणों द्वारा आयोजित हो।

हालाँकि, जिन उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में पीएचडी है, नेट योग्यता से छूट दी गई है।

नोटः2 मास्टर स्नातक स्तर पर 5 प्रतिशत अंकों की छूट की अनुमति निम्नलिखित श्रेणियों के लिए हैः

1. एससी/एसटी उम्मीदवार

2. पीएचडी डिग्री धारक जिन्होंने अपने स्नातक की डिग्री 19.09.1991 "से पहले उत्तीर्ण किए हैं।"
[7]

8. डॉ. जयकुमार ने इस पद के लिए आवेदन किया था। आवेदन संसाधित किया गया, और चयन समिति द्वारा उनके साक्षात्कार के अनुसार, उनका मूल्यांकन किया गया और उन्हें 04.08.2012 पर पहले स्थान पर रखा गया। प्रतिवादी डॉ. मर्लिन जे. एन. दूसरे स्थान पर रखी गयीं थी । व्यथित महसूस करते हुए उसने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की ।[8] डॉ. मर्लिन द्वारा आग्रह किया गया, आधार यह था कि अन्य बातों के साथ– साथ उन्हें अन्यायपूर्ण रूप से चार अंक (आपेक्षित शिक्षण, अनुभव और एक मान्यता प्राप्त पत्रिका में प्रकाशन के संबंध में) से वंचित कर दिया गया था, जो उन्हें दिए जाने चाहिए थे । इसके अतिरिक्त उन्होंने डॉ. जयकुमार की नियुक्ति को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि यह 2009 /10 यूजी. सी. आर.का उल्लंघन है यानी क्योंकि डॉ. जयकुमार ने 2009 पी.एच.डी. विनिमय के अनुसार अपनी पी.एच.डी. प्राप्त नहीं की थी । 2009/10 यू.जी.सी. आर. के तहत वह व्याख्याता का पद संभालने के लिए योग्य नहीं थे। केरल उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 01–02–2017 [9] के निर्णय द्वारा यह माना कि डॉ. जयकुमार व्याख्याता का पद संभालने के लिए योग्य नहीं थे । विद्वान एकल न्यायाधीश ने पी. सुशीला बनाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग [10] में इस न्यायालय के फैसले के साथ– साथ डॉ. डी राधाकृष्णन पिल्लई बनाम त्रावणकौर देवासन बोर्ड [11] मामले में केरल उच्च न्यायालय की प्रर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया ।

' केरल विश्वविद्यालय, अधिसूचना सं। विज्ञापन. एच/5091/2011, दिनांक 11.06.2011।

8 डॉ. मर्लिन जे. एन. बनाम केरल विश्वविद्यालय, डब्ल्यू. पी. (ग) 2012 का सं. 20055 और डब्ल्यू. पी. (ग) 2013 की सं. 2951।

9 डब्ल्यू. पी. में सामान्य निर्णय (ग) 2012 का सं. 20055 और 21902 और डब्ल्यू. पी. (ग) 2013 का सं. 2951, दिनांक 01.02.2017।

10 पी. सुशीला बनाम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 2015 (8) एससीसी 129।

11 1 डॉ. डी. राधाकृष्णन पिल्लई बनाम त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड, 2016 (2) के. एल. टी. 245

विश्वविद्यालय और डॉ. जयकुमार ने डिवीजन बेंच में अपील की जिसने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले की पुष्टि की। डिवीजन बेंच ने मध्य प्रदेश राज्य में वी. मनोज शर्मा इस न्यायालय के बाद के फैसले पर ध्यान दिया।[12] और विनियमों में (तत्कालीन) नवीनतम संशोधन (इसके बाद, "2016 यू. जी. सी. आर./चौथा संशोधन") जिसमें 2009/10 यू. जी. सी. आर. की कठोरता को कुछ हद तक कम करने और यू. जी. सी. आर. की कट–ऑफ तिथि 11.07.2009 से पहले पी. एच. डी. डिग्री प्राप्त करने वालों को भी व्याख्याता की नियुक्ति के लिए विचार करने में सक्षम बनाने का प्रयास किया गया था। डिवीजन बेंच ने माना कि 2016 यू. जी. सी. आर. केवल संभावित रूप से लागू था, और इसलिए डॉ. जयकुमार को लाभ देने से इनकार कर दिया।

9. इस अदालत के समक्ष डॉ. जयकुमार के साथ–साथ विश्वविद्यालय की ओर से यह तर्क दिया गया था कि प्रथम की नियुक्ति विद्यमान कानून और विनियमों के अनुसार थी। इस बात पर जोर दिया गया कि विश्वविद्यालय ने केवल 23.11.2013 से प्रभाव के साथ 2009/10 यूजीसीआर को अपनाया था। इन परिस्थितियों में, जब विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, और जब डॉ. जयकुमार को अगस्त 2012 में नियुक्त किया गया था, तो वह पूरी तरह से योग्य थे और व्याख्याता के रूप में नियुक्त होने के हकदार थे। यह भी तर्क दिया गया कि डॉ. जयकुमार की नियुक्ति से पहले, यू. जी. सी. ने अपनी 471 वीं बैठक में पारित अपने प्रस्ताव के माध्यम से स्पष्ट किया था कि 2009 पी. एच. डी. विनियम और 2009 यू. जी. सी. आर भविष्यलक्षी प्रभाव के थे, न कि पूर्वव्यापीः

" वे उम्मीदवार जिन्होंने या तो 31.12.2009 को या उससे पहले पीएचडी प्राप्त की थी, और ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने स्वयं पी. एच. डी. डिग्री के लिए 31.12.2009 को या उससे पहले पंजीकरण कराया था उन्हें नेट की आवश्यकता से छूट दी गई थी । " [13]

10. अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि चौथे संशोधन ने मामले को किसी भी संदेह से परे रखा क्योंकि यह उन योग्य उम्मीदवारों को प्रदान करता है जिन्होंने 11.07.2009 से पहले अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। इस संबंध में, निम्नलिखित पर बहुत जोर दिया गया थाः

" विनियम 3.3.1 , 4.4. 1 , 4.4. 2 , 4.4 .2.2 , 4.4 .2.3 , 4.5. 3 और 4.6. 3 के अधीन परंतुक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपाय) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016 में

---

12 मध्य प्रदेश राज्य। वी. मनोज शर्मा, 2018 (3) एससीसी 329।

13 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 471 वीं बैठक के कार्यवृत्त, मद 2 (iii), दिनांक 12.08.2010।

11 जुलाई, 2009 से पहले पी. एच. डी. कार्यक्रम के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों को छूट से संबंधित संशोधन किया जाएगा और इसे इस प्रकार पढ़ा जाएगाः इसके अंतर्गतः

इसके अलावा, 11 जुलाई, 2009 से पहले M.Phil/Ph. D के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों को डिग्री का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम तत्कालीन मौजूदा अध्यादेशों के प्रावधानों डिग्री प्रदान करने वाले संस्थानों के उपनियम/विनियम द्वारा शासित होगा। और विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसर या समकक्ष पदों की नियुक्ति और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगीः

क) उम्मीदवार की पी. एच. डी. डिग्री जो केवल नियमित रूप से प्रदान की जाती है।

ख) कम से कम दो बाहरी शोध प्रबंधों द्वारा पी. एच. डी. का मूल्यांकन।

ग) उम्मीदवार का ओपन पीएचडी वाइवा वॉस आयोजित किया गया था;

घ) उम्मीदवार ने अपने पी. एच. डी. से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, जिनमें से कम से कम एक रेफर पत्रिका में होना चाहिए।

ई) उम्मीदवार ने उनके पी. एच. डी. कार्य के आधार पर सम्मेलन/सेमिनार में कम में कम दो प्रस्तुतियाँ दी है।

(क) से (ङ) जैसा कि ऊपर बताया गया है, कुलपति/उप–कुलपति/डीन (शैक्षणिक मामले)/डीन (विश्वविद्यालय के निर्देश) द्वारा प्रमाणित किया जाना है। "।[14]

11. डॉ. मर्लिन की ओर से यह तर्क दिया गया कि डॉ. जयकुमार अयोग्य थे और उन्हें नेट योग्यता से छूट नहीं दी जा सकती थी। जो प्रचलित 2009/10 UGCR के तहत आवश्यक थी। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि 2009 पी. एच. डी. विनियमों ने पी. एच. डी. डिग्री प्रदान करने के लिए एक नए कठोर शैक्षणिक ढांचे की शुरुआत की थी। यदि कोई इसे ध्यान में रखता है, तो यह शर्त कि केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने 2009/10 UGCR के संदर्भ में अपनी Ph. D. प्राप्त की थी, वे NET लेने से छूट के लिए पात्र थे । ऐसी शर्त पूर्ण थी। दूसरे शब्दों में, जिन उम्मीदवारों ने 2009/10 UGCR के संदर्भ में अपनी पी.एच.डी. प्राप्त की थी ।केवल उक्त उम्मीदवारों के वर्ग को ही नेट अर्हता प्राप्त करने से छूट दी गई थी । चूँकि डॉ. जयकुमार उस कक्षा में नहीं आते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पी. एच. डी. बहुत पहले प्राप्त कर ली थी , इसलिए छूट उन पर लागू नहीं होती थी। पात्र होने के

---

14 रेग. 3 , 2016 यूजीसीआर।

लिए, उन्हें नेट लेना था। यह प्रस्तुत किया गया था कि दूसरी ओर, डॉ. मर्लिन बेहतर योग्य थी, क्योंकि उसने 1998 में नेट पास किया था और बाद में पीएचडी प्राप्त की थी। इसके अलावा, वह 2001 से केरल विश्वविद्यालय में एक अनुबंध शिक्षक के रूप में काम कर रही थी। इन कारकों के बावजूद, विश्वविद्यालय डॉ. जयकुमार को नियुक्त करने के लिए आगे बढ़ा और उनकी उम्मीदवारी को नजरअंदाज कर दिया। उन दोनों के बीच, वह अकेले योग्य थी, जबकि डॉ. जयकुमार योग्य नहीं थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी डॉ. जयकुमार यू. जी. सी. की बैठक के 471 वें प्रस्ताव पर भरोसा नहीं कर सकते थे।

12. डॉ. मर्लिन के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आग्रह किया कि यू. जी. सी. का प्रस्ताव, 2010 के यू. जी. सी. आर. की स्पष्ट शर्तों के विपरीत था। यह विवाद का विषय बन गया क्योंकि केंद्र सरकार ने 23.11.2010 दिनांकित एक पत्र में प्रस्ताव के साथ अपनी असहमति व्यक्त की थी। पी. सुशीला (ऊपर) मामले में इस अदालत के फैसले में इस विवाद पर चर्चा की गई थी। विद्वान वकील ने उस फैसले पर भरोसा करते हुए आग्रह किया कि इस अदालत ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया था कि यू. जी. सी. का प्रस्ताव स्वीकार किया था जो इसकी 471 वीं बैठक में डॉ. जयकुमार के समान स्थित उम्मीदवारों को कोई राहत प्रदान नहीं कर सकती क्योंकि यह केंद्र सरकार के नियमों के विपरीत थी। जो मूल निर्देश अधिनियम के संदर्भ में प्रबल थे। विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी मनोज शर्मा (ऊपर) में बाद के फैसले पर भरोसा किया। यह आगे तर्क दिया गया कि 2016 यू. जी. सी. आर. स्पष्ट रूप से भविष्यलक्षी प्रकृति का था–जिनके पास 11.07.2009 की कट–ऑफ तिथि से पहले पी. एच. डी. योग्यताएँ हैं लेकिन 2016 यू. जी. सी. आर. से लाभ उठाने के इच्छुक लोगों को विशिष्ट शर्तों (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) को पूरा करना था जो अब तक अनुपस्थित थीं। इसी तरह, यह रेखांकित किया गया कि हालांकि यू. जी. सी. के पास पूर्वव्यापी प्रभाव (यू. जी. सी. अधिनियम की धारा 26 (3) द्वारा) के साथ विनियम बनाने की शक्ति है, 2016 यू. जी. सी. आर. स्पष्ट रूप से भविष्यलक्षी है और इस अदालत को व्याख्या द्वारा इसे पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं देना चाहिए। जैसा कि अपीलार्थियों द्वारा माँगा जा रहा है। इन परिस्थितियों में, डॉ. जयकुमार के 2016 के यू. जी. सी. आर. से लाभ उठाने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता था, जो उनकी नियुक्ति के बाद लागू हुआ था। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह आग्रह किया गया कि इस न्यायालय को उच्च न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।

---

15 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (इसके बाद "यू. जी. सी. अधिनियम")।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

13. तथ्यों के वर्णन से, यह स्पष्ट है कि लंबे समय तक, जब भी यू.जी.सी. ने विश्वविद्यालय शिक्षण कर्मचारियों के लिए योग्यता से संबंधित नियम पेश किये, तो नेट में अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता से पी.एच.डी. और एम.फिल. के लिए छूट प्रदान की गई । यह उन क्रमिक परिवर्तनों से स्पष्ट है जो यू.जी.सी.ने प्रासंगिक नियमों में 1993, 2000, 2002 और 2006 में सहायक प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर आदि के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता और योग्यतओं से निपटान के लिये पेश किए हैं । 2009 पी.एच.डी. विनियम पहली बार थे कि पाठ्यक्रम की शैक्षणिक सामग्री और थीसिस/ मौखिक परीक्षा आदि के मूल्यांकन के तरीके को वर्णित किया गया । इस पर आधारित 2009/10 यू.जी.सी.आर. ने विश्वविद्यालयों में शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए योग्यता, और अतीत के साथ एक ब्रेक बनाया क्योंकि केवल वे जिन्होंने 2009 के पीएचडी विनियमों के संदर्भ में अपनी पीएचडी अर्जित की थी या उन्हें अर्जित करना था उस व्यवस्था के तहत वे नेट लेने से छूट के हकदार थे।

14. इसका मतलब था कि पी. एच. डी. धारकों का एक बड़ा समूह (जैसे इस मामले में डॉ. जयकुमार) जिन्हें 11.07.2009 से पहले, डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया गया था। यानी 2009 यू. जी. सी. आर. के तहत कट–ऑफ तिथि, अचानक छूट का दावा करने के लिए अयोग्य हो गई और प्रति बल उपस्थित होने के लिए मजबूर किया गया और नेट में अर्हता प्राप्त करें। यू. जी. सी. इस स्थिति से अवगत हो जाता है और दो प्रस्तावों दिनांकित 12.08.2010 और 27.09.2010 द्वारा राय दी गई कि चूंकि नियम भविष्यलक्षी प्रकृति के हैं, इसलिए सभी उम्मीदवारों जिनके पास एम. फिल 10.07.2009 को या उससे पहले और वे सभी व्यक्ति जिन्होंने 31.12.2009 पर या उससे पहले पी. एच. डी. की डिग्री प्राप्त की थी और इस तारीख से पहले पी. एच. डी. के लिए खुद को पंजीकृत किया था, लेकिन बाद में ऐसी डिग्री से सम्मानित किया जाएगा। व्याख्याता/सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के उद्देश्य से नेट की आवश्यकता से छूट दी गई । हालाँकि, जैसा कि पी. सुशीला (उपरोक्त) में चर्चा किए गए तथ्यों से पता चलता है–केंद्र सरकार यू. जी. सी. की राय से सहमत नहीं थी। दोनों प्राधिकरणों यानी यू. जी. सी. और केंद्र सरकार के बीच कुछ पत्राचार हुआ। इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में पी. सुशीला (उपरोक्त) में याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था (जैसा कि अन्य उच्च न्यायालयों में कुछ अन्य उम्मीदवारों ने किया था)। विभिन्न उच्च न्यायालयों के अलग–अलग निर्णयों के कारण इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति द्वारा अपील की गई। पी. सुशीला (ऊपर) द्वारा तय किए गए समूह में, आवेदन का प्रश्न उन उम्मीदवारों के लिए नेट से छूट जिन्होंने पुरानी व्यवस्था के तहत पी.एच. डी. प्राप्त की (यानी 2009 के पी.एच. डी. विनियमों के लागू होने से पहले) पर विचार किया गया था– विशेष रूप से क्या 2009/10 यू. जी. सी. आर. पी. एच. डी.

धारकों के पहले और बाद में एक अस्वीकार्य वर्गीकरण था, जिसके तहत एक समूह (2009 से पहले) को छूट से वंचित कर दिया गया था, जिसका दूसरा समूह (2009 के बाद) हकदार था।

15. *पी. सुशीला (उपरोक्त)* मामले में इस अदालत ने फैसला सुनाया कि चूंकि केंद्र सरकार यू. जी. सी. अधिनियम के तहत अंतिम प्राधिकरण थी, इसलिए उसके पास अंतिम अधिकार था। इस संबंध में कहें कि 2009/10 UGCR कैसे काम करने वाला था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि विनियमों का अर्थ इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि केवल वे लोग जो अपनी पी. एच. डी. की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं या 2009 के पी. एच. डी. विनियमों के संदर्भ में 11.07.2009 के बाद छूट के हकदार हैं।

16. इस मामले के तथ्यों से पता चलता है कि चयन प्रक्रिया 2012 में पूरा किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस समय 2009 के पी. एच. डी. विनियम और 2009/10 यू. जी. सी. आर. लागू थे। फिर भी विश्वविद्यालय ने डॉ. जयकुमार को अपने द्वारा समझे गए मौजूदा मानकों को लागू करके नियुक्त किया। विश्वविद्यालय के अनुसार, 2009/10 यू. जी. सी. आर. को केवल 2013 में इसके क़ानून में शामिल किया गया था। इस अदालत की राय में, वह विवरण अप्रासंगिक है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि डॉ. जयकुमार की तरह, शायद सैकड़ों अन्य पी. एच. डी. उम्मीदवार हैं जिन्होंने 2009 के पी. एच. डी. विनियमों से पहले अपनी डिग्री हासिल की थी और जो 2009/10 यू. जी. सी. आर. लागू होने तक भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में किसी भी शिक्षण रिक्ति के लिए प्रत्येक चयन में एन. ई. टी. से छूट का दावा करने के हकदार थे। इस स्थिति ने यू. जी. सी. को स्पष्टीकरण जारी करने के लिए प्रेरित किया, जो केंद्रीय सरकार इससे सहमत नहीं थी। अपीलार्थी डॉ. जयकुमार पी. एच. डी. धारकों की उस श्रेणी में आते थे जिनके लिए यू. जी. सी. ने 2009/10 UGCR की कठोरताएँ नरम करने का इरादा किया था। । हालाँकि, केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन की कमी के कारण मुकदमेबाजी हुई जिसकी परिणति *पी. सुशीला (ऊपर)* में हुई।

17. पी. सुशीला (ऊपर) 2009 से पहले के पी. एच. डी. धारकों के संबंध में इस मुद्दे को प्रतिकूल रूप से उठाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं। यू. जी. सी. ने शायद उस कठिनाई को महसूस किया जो उन्हें झेलनी पड़ी (उनमें से कई को यू. जी. सी. ने 12.08.2010 पर 471 वीं बैठक में अपनाए गए प्रस्ताव के कारण विभिन्न विश्वविद्यालयों में नियुक्त भी किया गया था)। और इसलिए एक बार फिर नियमों में संशोधन किया (2016 यू. जी. सी. आर.), जो निम्नानुसार हैः

" विनियम 3,3 जे, 4.4 जे, 4.4 2 , 4.4 .2.2 , 4.4 .2.3 , 4.5. 3 और 4.6 3 के अधीन विहित परंतुक विश्वविद्यालय अनुदान में कमीशन, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता

और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपाय) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016 पीएचडी कार्यक्रम के लिए 11 जुलाई, 2009 से पहले पंजीकृत उम्मीदवारों को छूट वास्ते संशोधित किया जाएगा और इसे इसके अंतर्गत पढ़ा जाएगाः

बशर्ते कि जिन्हें **11 जुलाई 2019 से पहले M.Phil/ पी. एच. डी. कार्यक्रम के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों को** डिग्री प्रदान किया गया हो, **पुरस्कार प्रदान करने वाले संस्थानों के अध्यादेश/उपनियम/विनियमडिग्री के** तत्कालीन विद्यमान प्रावधानों द्वारा शासित होगा और पीएचडी उम्मीदवारों को भर्ती के लिए **नेट/स्लेट/सेट की आवश्यकता छूट दी जाएगी** और विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थानों में सहायक प्रोफेसर या समकक्ष पदों की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों पूर्णता के अधीन होगी।" [16]

(जोर दिया गया)

18. यू. जी. सी. का इरादा 2009 से पहले के पी. एच. डी. धारकों की सुरक्षा करना है जिन्हें हो सकता है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में नियुक्त किया गया हो और इसके लिए पढ़ाया गया हो वर्ष, स्पष्ट रूप से अपनाई गई भाषा में स्पष्ट है। यह और भी स्पष्ट है बनाने के लिए कि 18.07.2018 पर प्रकाशित 2018 यू. जी. सी. आर.,2009 से पहले और बाद के पी. एच. डी. धारकों को दो समूहों में बांटा गया, और एन. ई. टी. लेने से दोनों को छूट दी गई , निम्नानुसारः

"राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन. ई. टी.) या मान्यता प्राप्त परीक्षा राज्य स्तर पात्रता परीक्षा एस एल ई टी/ एस.ई.टी. सहायक प्रोफेसर जहां भी समतुल्य पद दिए गए हैं की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता होगी और इसके अलावा, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/ संस्थानों में सीधी भर्ती के लिए एस. एल. ई. टी./एस. ई. टी. उक्त राज्य में न्यूनतम पात्रता के रूप में मान्य होगा।

बशर्ते कि जिन उम्मीदवारों को पीएचडी से सम्मानित किया गया हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./ पी.एच.डी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनिमय 2009, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पी.एच. डी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियमन, 2016 और उनके समय–समय पर बाद के संशोधन, जैसा भी मामला हो सकता है, किसी भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्थान में सहायक प्रोफेसर या किसी समकक्ष पद की नियुक्ति और भर्ती के लिए नेट/स्लेट/सेट की पात्रता शर्त की न्यूनतम आवश्यकता से छूट दी जाएगी ।

---

16 रेग. 3 , 2016 यूजीसीआर।

बशर्ते कि जुलाई 11, 2009 से पहले एम.फिल/पी.एच.डी. कार्यक्रम में पंजीकृत उम्मीदवारों को डिग्री प्रदान हो, उस समय के प्रावधानों द्वारा शासित होगा जो संस्थानों के मौजूदा अध्यादेश/उपनियम/कानून डिग्री प्रदान करता है। ऐसे सभी पीएच. डी. उम्मीदवार विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में होंगे सहायक प्रोफेसर की या समकक्ष पद की भर्ती या नियुक्ति बाबत् निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होंगे। "[17]

(जोर दिया गया)

19. इस अदालत को *पी. सुशीला (ऊपर) या मनोज शर्मा (ऊपर)* में विनियमों में संशोधन जांच करने का लाभ नहीं मिला । उन्हें केवल संभावित रूप से लागू करने के रूप में समझने से एक बेतुकी बात पैदा होगी, और उस उद्देश्य को विफल कर देगा जिसके लिए संशोधन की घोषणा की गई थी। संशोधनों की व्याख्या का तरीका, जहां अपनाई गई भाषा पूर्वव्यापी अनुप्रयोग का स्पष्ट अनुमान देती है, इस अदालत द्वारा *रफीक्वेनेसा बनाम लाल बहादुर छेत्री (मृत) अपने प्रतिनिधियों और अन्य लोगों* के माध्यम से निर्धारित किया गया था। जो एक संशोधन द्वारा पूर्वव्यापी रूप से लाए गए किरायेदारों की बेदखली पर प्रतिबंध से संबंधित था ।

"निर्माण का प्रासंगिक नियम संबंधित कानून का बयान देने के लिए जिसे इस में वैधानिक प्रावधानों के प्रभाव से निपटने के लिए अपनाया जाना है, इस संबंध में, हमें जोड़ना चाहिए वैधानिक प्रावधान के पूर्वव्यापी संचालन का अनुमान उन मामलों में भी लगाया जा सकता है जहां ऐसा पूर्वव्यापी संचालन स्पष्ट रूप से निहित प्रतीत होता है प्रावधान का अर्थ उस संदर्भ में लगाया गया है जहां यह होता है। अन्य शब्दों में, एक वैधानिक प्रावधान को पूर्वव्यापी माना जाता है जब इसे व्यक्त शर्तों द्वारा घोषित किया जाता है, या इरादा इसे प्रासंगिक शब्दों से स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी बनाएँ और जिस संदर्भ में वे घटित होते हैं। "[18]

यह व्याख्या समय की कसौटी पर खरी उतरी है और *दर्शन सिंह व रामपाल सिंह और अन्य*[19] के फैसले में इसे बरकरार रखा गया था । जिसमें संक्षेप में कहा गया थाः

---

17 रेग. 3.3(1),2018 यूजीसीआर।

18 रफीक्वेनेसा वी। लाल बहादुर छेत्री (मृत) अपने प्रतिनिधियों और अन्य लोगों के माध्यम से। , (1964) 6 एस. सी. आर. 876, पैरा 9.

19 दर्शन सिंह बनाम राम पाल सिंह और अन्य। , 1990 (सप) 3 एस. सी. आर. 212, पैरा 12।

" न्यायालय एक प्रावधान का अर्थ पूर्वव्यापी रूप से कार्य करने की शक्ति प्रदान करने के रूप में करेंगे, जब स्पष्ट शब्दों का उपयोग किया जाता है।

20. इसके अलावा, श्याम सुंदर बनाम। राम कुमार,20 इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने एक घोषणात्मक कानून के दायरे और दायरे पर चर्चा की और देखाः

" अंत में, अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा अधिनियम की नई धारा 15 को प्रतिस्थापित किया गया है, घोषणात्मक है और इसलिए इसका पूर्वव्यापी प्रभाव है । आम तौर पर जब कोई अधिनियम पिछला कानून, घोषित करता है इसे पूर्वव्यापी प्रभाव देने की आवश्यकता है। एक घोषणात्मक क़ानून का कार्य एक चूक प्रदान करना या पिछले क़ानून की व्याख्या करना है और जब ऐसा कोई अधिनियम पारित किया जाता है, तो यह तब प्रभावी होता है जब पिछला अधिनियम पारित किया गया था। कानून बनाने की विधायी शक्ति में शामिल है –घोषणा करें कि पिछला कानून क्या था और कब ऐसा था, घोषणात्मक अधिनियम पारित किया जाता है, निश्चित रूप से इसे पूर्वव्यापी माना गया है। किसी अधिनियम में 'घोषणा' शब्द का उपयोग न होना, जिसमें यह बताया गया हो कि पहले कानून क्या था, एक घोषणात्मक अधिनियम प्रतीत नहीं हो सकता है, लेकिन यदि न्यायालय को कोई अधिनियम इस प्रकार घोषणात्मक या व्याख्यात्मक लगता है– इसका अर्थ इस प्रकार पूर्वव्यापी लगाया जाना चाहिए । इसके विपरीत जहाँ एक क़ानून शब्द ' घोषणात्मक ' का उपयोग करता है, इस प्रकार उपयोग किए गए शब्द यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं कि क़ानून एक घोषणात्मक अधिनियम है क्योंकि शब्दों का उपयोग नया कानून लागू करने का आदेश में किया जा सकता है।

21. यहाँ उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया था कि 2016 यू. जी. सी. आर. को पूर्वव्यापी प्रभाव देने का यू. जी. सी. का इरादा नहीं था, भले ही यू. जी. सी. के पास, यू. जी. सी. अधिनियम की धारा 26 (3) के तहत ऐसा करने की शक्ति थी। यह भी आग्रह किया गया कि ऐसी परिस्थितियों में, अदालत को संशोधनों की व्याख्या नहीं करनी चाहिए ताकि ऐसे लाभ पूर्वव्यापी रूप से प्रदान किए जा सकें, विशेष रूप से लंबित कार्यवाही के लिए।

22. यह न्यायालय इस तरह की दलीलों से अप्रभावित है। इस तरह की स्थितियों में, अधिकारों की पूर्वव्यापी बहाली जो पहले थी हटा लिया गया है, निश्चित रूप से लंबित कार्यवाही को प्रभावित करेगा–हालाँकि, यह अदालतों का कर्तव्य है, चाहे वे मूल कार्यवाही का विचारण कर रहे हों या अपील की सुनवाई कर रहे हों, कि वे लंबित कार्यों को प्रभावित करने वाले कानून में परिवर्तन का संज्ञान लें और उसे प्रभावी बनाएं।[21] यदि इस

---

20 निष्पादित श्याम सुंदर बनाम राम कुमार (2001) 8 एससीसी 24, पैरा 39।

21 जी. पी. सिंह, सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत (14 वां संस्करण), पृ. 631 .

एक संशोधन एक ऐसी भाषा बोलता है जो स्पष्ट रूप से या द्वारा स्पष्ट आशय लंबित मामलों में भी लिया जाता है, प्रथम दृष्टांत न्यायालय के साथ–साथ अपील न्यायालय को इस प्रकार व्यक्त किए गए इरादे को ध्यान में रखना चाहिए, और अपील न्यायालय प्रथम दृष्टांत न्यायालय के निर्णय के बाद भी ऐसी विधि को प्रभावी बना सकता है।[22]

23. जब कोई अधिनियम या संशोधन घोषणात्मक, उपचारात्मक या स्पष्टीकरणात्मक होता है तो यह स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है कि हमेशा क्या इरादा था, ऐसे संशोधन का मतलब आमतौर पर पूर्ववर्ती तिथि से संचालित होना या पूर्ववर्ती घटनओं को कवर करना होता है, स्पष्ट किया गया था। जहाँ *आयुक्त, भोपाल बनाम शेली प्रोडक्ट्स व अन्य*[23] *में* इस अदालत ने एक संशोधन की व्याख्या करते हुए कहा था किः

" यह कानून को स्पष्ट करने का प्रयास करता है ताकि इन संदेहों को दूर किया जा सके जिसके कारण अदालतों में परस्पर विरोधी निर्णय दे रही थी और कई मामलों में निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया कर राजस्व को आय की पूरी राशि वापस करने का निर्देश दिया गया था । जहां राजस्व एक नया मूल्यांकन तैयार करने की स्थिति में नहीं था। प्रकृति में स्पष्ट होने के कारण यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इसे पूर्वव्यापी माना जाना चाहिए। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि विधायिका, विधानमंडल द्वारा कानून की व्याख्या में न्यायिक त्रुटि को दरकिनार करने के लिए एक घोषणात्मक अधिनियम पारित कर सकती है । यह केवल मूल अधिनियम के प्रावधान के अर्थ को स्पष्ट करना चाहता है। और जो पहले से ही अंर्तनिहित था उसे स्पष्ट करना चाहता है । "

24. इसी तरह, *जिल सिंह बनाम हरियाणा राज्य*[24] में, इस अदालत ने जी. पी. सिंह के सांविधिक व्याख्या के सिद्धांतों (9 वीं एडन) से उद्धृत किया है और निर्माण के प्रासंगिक नियम को लागू कियाः

" यदि कोई नया अधिनियम किसी पूर्ववर्ती अधिनियम की व्याख्या करने के लिए है, तो यह तब तक उद्देश्यहीन होगा जब तक कि इसका पूर्वव्यापी अर्थ न लगाया जाए। एक व्याख्यात्मक अधिनियम है पिछले अधिनियम के अर्थ के बारे में आम तौर पर एक स्पष्ट चूक की आपूर्ति करने या संदेह साफ करने के लिए पारित किया जाता है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि कोई क़ानून उपचारात्मक है या केवल घोषणात्मक है पिछला कानून पूर्वव्यापी संचालन आम तौर पर अभिप्रेरित है । एक संशोधन अधिनियम मूल अधिनियम के एक प्रावधान का अर्थ स्पष्ट करने के लिए

---

22 नूरुन्निसा बेगम बनाम। बृज किशोर संघी, (2015) 17 एस. सी. सी. 128, पैरा 28।

23 आयकर आयुक्त, भोपाल बनाम शेली उत्पाद, (2003) 5 एस. सी. सी. 461, पैरा 38।

24 जिल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, 2004 (8) एस. सी. सी. 1, पैरा 14।

विशुद्ध रूप से घोषणात्मक हो सकता है । जो पहले से ही निहित था । इस प्रकार का एक स्पष्टीकरणात्मक संशोधन होगा इसका पूर्वव्यापी प्रभाव पड़ता है।

25. प्रत्यर्शी द्वारा उठाया गया एक अन्य तर्क यह था कि *मनोज शर्मा (ऊपर)* में इस अदालत का निर्णय अपीलार्थियों के खिलाफ था। हम असहमत हैं। *मनोज शर्मा (ऊपर)* में, उत्तरदाताओं ने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के तहत M.Phil डिग्री प्राप्त किया था। जिसकी 2009 पी. एच. डी. विनियमों द्वारा मान्यता रद्द थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस तरह की मान्यता रद्द संभावित प्रकृति की है, और उनका M.Phil। डिग्री को अप्रभावी नहीं बनाया गया, जिसे इस अदालत ने बरकरार रखा। [26] जहाँ तक 2009 के यू. जी. सी. आर. के आवेदन का संबंधित मुद्दा था, यह केवल एमफिल डिग्री धारकों तक ही सीमित था, जिसमें 2009 यू. जी. सी. आर. ने M.Phil के लिए दी गई एन. ई. टी. छूट को हटा दिया था और इसे केवल पीएचडी डिग्री धारकों के लिए 2009 पीएचडी विनियमों के अनुसार बनाए रखा। पुनः, इस न्यायालय को 2016 या 2018 के यू. जी. सी. आर. का विश्लेषण करने का अवसर नहीं दिया गया था, क्योंकि वे उसके समक्ष नहीं उठाए गए थे (इस न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थियों का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था)। इस प्रकार, हम वर्तमान मामले में मनोज शर्मा (उपरोक्त) की सीमित प्रयोज्यता पाते हैं।

26. 1993 से 2018 तक यू. जी. सी. आर. के सभी संस्करणों में व्याप्त तर्क (जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है) एम. फिल/पी.एच.डी धारकों को नेट में अर्हता प्राप्त करने से शायद इस समझ पर आधारित किया गया था कि किसी के चुने हुए विषय में इस तरह की डॉक्टरेट, जिसमें वर्षों का अध्ययन शामिल है, नेट लेने वाले अधिकांश अन्य उम्मीदवारों की तुलना में जिन्होंने केवल मास्टर की डिग्री प्राप्त की है विषय की अधिक समझ प्रदान करते हैं ऐसी योग्यता (एम. फिल. या Ph. डी) निस्संदेह संबंधित विषय या विषय में उम्मीदवार की सिद्ध प्रवीणता के लिए सम्मानित किया जाता है। यह विभिन्न पदों की न्यूनतम योग्यता आवश्यकताओं से भी स्पष्ट है–उदाहरण के लिए, जबकि सहायक प्रोफेसर के पद पर आवेदन के लिए मास्टर डिग्री पर्याप्त है, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर आवेदन करने के लिए पीएचडी की आवश्यकता होती है। [27] 2018 के यू. जी. सी. आर. की

---

25 मनोज शर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य, डब्ल्यू. पी. (ग) 2012 का सं. 3290, दिनांक 29.08.2012 [एम. पी. एच. सी.]।

26 मध्य प्रदेश राज्य बनाम। मनोज शर्मा, 2018 (3) एस. सी. सी. 329, पैरा 12।

27 रेग देखें। 4.1 , 2018 यू. जी. सी. आर. कला, वाणिज्य, मानविकी, शिक्षा, कानून, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषा, पुस्तकालय विज्ञान, भौतिक विज्ञान के सभी विषयों पर लागू होता है। शिक्षा, और पत्रकारिता और जन संचार। अनुचित। इसलिए यह अदालत मानती है कि डॉ. जयकुमार की ए नियुक्ति 2016 यू. जी. सी. आर. द्वारा संरक्षित है, जो पूर्वव्यापी रूप से लागू होती है।

संभावित व्याख्या करने के लिए यह संकेत दिया जाएगा कि 2009 से पहले के पी. एच. डी. धारक की नियुक्ति को अवैध बना दिया जाएगा, और कई वर्षों तक पढ़ाने के बाद, वह अपनी वरिष्ठता और सभी अर्जित लाभों को खो देगा और अब पढ़ाने के लिए नेट लेना होगा–जो स्पष्ट रूप से अनुचित है।

27. इस प्रकार, अपीलों की अनुमति दी जाती है। विवादित निर्णय रद्द किया जाता है और सभी आवेदनों को तदनुसार निपटाया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अंकित ज्ञान अपीलों की अनुमति

(राहुल राठी, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)

SANJEEV KUMAR TAMAK
Digitally signed by SANJEEV KUMAR TAMAK
Date: 2023.11.10 13:46:12 +0530